पटना उच्च न्यायालय

सिविल रिट सं.- 19221/2018

==========

1. मो. शमशेर, पिता- समसुजोहा, गाँव-बरहपुरा, उत्तर तोला, डाकघर-बरहपुरा, थाना- ईशाचक, जिला-भागलपुर।

2. उत्तम कुमार, पिता- बिशुनदेव मंडल, जी. पी. वर्मा तोला, मंडीचक, थाना- कोटवाली, जिला-भागलपुर।

3. राजीव कुमार कर्ण, पिता- भवेश प्रसाद कर्ण, मोहल्ला-सिकंदरपुर, थाना- मोजाहिदपुर, जिला-भागलपुर।

4. मुमताज अली, पिता- स्वर्गीय मोहम्मद उम्मेद अली, मौलाना चक, थाना- मोजाहिदपुर, जिला-भागलपुर।

5. मो. फिरोज अंसारी, पिता- मोहम्मद फहीम, मोहल्ला-भिखनपुर, गुमटी नंबर 3, मदीना मस्जिद के पास, थाना- इशाकचक, जिला-भागलपुर।

6. मो. परवेज़, पिता- मोहम्मद शम्सु जोहा, मोहल्ला-ब्रह्मपुरा, उत्तर टोला, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर के निवासी।

7. मो. रज़ी, पिता- मोहम्मद शफी अहमद, निवासी ब्रह्मपुरा, चांदनी चौक, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।

8. अभय कुमार सिन्हा, पिता- श्री राजेंद्र प्रसाद, गांव-सरौन, डाकघर- तारापुर, जिला-मुंगेर ।

9. अजय कुमार सिन्हा, पिता- श्री राजेंद्र प्रसाद, गाँव-तहबलपुर, खांता किनारा, थाना- लोदीपुर, जिला-भागलपुर, वर्तमान पता-सरौन, डाकघर- असरगंज, जिला-मुंगेर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।

2. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर।

3. उप निदेशक (बी. एस. एच.), भागलपुर।

4. जिला मजिस्ट्रेट, भागलपुर। 5. नजरात डिप्टी कलेक्टर, भागलपुर।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

सिविल रिट संख्या- 20062/2018

==========

1. रतनजय कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय नंद किशोर सिंह, मोहल्ला-लालुचक, अंगारी के निवासी, डाकघर- भागलपुर, थाना- लोदीपुर, जिला-भागलपुर।

2. शैलेंद्र कुमार सिन्हा, पिता- बालेश्वर प्रसाद राम, मोहल्ला-उमाचरण बोस लेन, खरमनचक, डाकघर- मुख्य कार्यालय, थाना- आदमपुर, जिला-भागलपुर।

3. अमरेश कुमार अमर, पिता- बृजेन्द्र कुमार कर्ण, मोहल्ला-नया टोला, भिखनपुर गुमटी नं. 1, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।

4. मो. नेयाज़, पिता- मोहम्मद निसार अहमद, उर्दू मध्य विद्यालय बहरपुरा के पास, मोहल्ला-मीर फैकू लेन, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।

5. मो. परवाज़, पिता- रज़ा मोहम्मद, मोहल्ला-मिरदाहा लेन, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।

6. मो. अफरोज, पिता- मोहम्मद रजा मोहम्मद, मोहल्ला-मिरदाहा लेन, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. प्रधान सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर।

3. उप निदेशक (बी. एस. एच.), भागलपुर।

4. जिला मजिस्ट्रेट, भागलपुर।

5. नजरात डिप्टी कलेक्टर, भागलपुर।

.... उत्तरदाता/s

==========

के साथ

सिविल रिट संख्या- 20164/2018

==========

1. बिशुनदेव पासवान, पिता- छठ्ठू पासवान, ग्राम- बंसीटीकर, डाकघर- बिशनपुर इटिच्चो, थाना- सबौर, जिला- भागलपुर।

2. मो. एजाज हुसैन, पिता- मोहम्मद सज्जाद हुसैन, टिकायतोली लेन, थाना- जगदीशपुर, जिला-भागलपुर।

3. मुकुंद बिहारी, पिता- स्वर्गीय गोपाल रॉय, गाँव-गोलाघाट, डाकघर- भागलपुर शहर, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला भागलपुर।

4. मोहम्मद एकरामुद्दीन अंसारी, पिता- स्वर्गीय मोहम्मद अब्दुल सलाम, गाँव- कजवालीचक, थाना-तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

5. जितेंद्र कुमार रॉय, पिता- स्वर्गीय रामफल रॉय, गाँव- गोलाघाट गरहैया, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

6. नंद बिहारी रॉय, पिता- स्वर्गीय गोपाल रॉय, गाँव-गोलाघाट डाकघर- भागलपुर शहर, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

7. मो. शाहनवाज़, पिता- स्वर्गीय कमरुद्दीन, गाँव-कजवालीचक, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

8. अवधेश राय, पिता- स्वर्गीय नारायण राय, गाँव-गोलाघाट, डाकघर- भागलपुर शहर, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

9. मो. शकीलुर रहमान, पिता- स्वर्गीय कमरुद्दीन, गाँव-कजवालीचक, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर।

3. उप निदेशक (बी. एस. एच.), भागलपुर।

4. जिलाधिकारी, भागलपुर।

5. नजरात डिप्टी कलेक्टर, भागलपुर।

.... उत्तरदाता/s

==========

बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भारती और सेवा शारते) नियमावली, 2023---नियम 13-बिहार कार्यालय **परिचारी/परिचारी** (विशिष्ट) (भारती और सेवा शारते) नियमावली, 2016---आयु में छूट देकर अधिक आयु **के मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति-कपिल कुमार बनाम उच्च न्यायालय का निर्णय। बिहार राज्य और अन्य (2019), मो. शमशेर बनाम। बिहार राज्य और अन्य (2018)।**

आयोजित किया गयाःनियम 2023 का खंड 13 याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं **करता** है-याचिकाकर्ताओं ने नियम 2016 के **तहत** भाग लिया-नियुक्ति 2016 नियम-लिखित याचिकाओं के तहत की जाएगी जिन्हें खारिज कर दिया जाएगा।

पटना उच्च न्यायालय

सिविल रिट सं.- 19221/2018

==========

1. मो. शमशेर, पिता- समसुजोहा, गाँव-बरहपुरा, उत्तर तोला, डाकघर-बरहपुरा, थाना- ईशाचक, जिला-भागलपुर।
2. उत्तम कुमार, पिता- बिशुनदेव मंडल, जी. पी. वर्मा तोला, मंडीचक, थाना- कोटवाली, जिला-भागलपुर।
3. राजीव कुमार कर्ण, पिता- भवेश प्रसाद कर्ण, मोहल्ला-सिकंदरपुर, थाना- मोजाहिदपुर, जिला-भागलपुर।
4. मुमताज अली, पिता- स्वर्गीय मोहम्मद उम्मेद अली, मौलाना चक, थाना- मोजाहिदपुर, जिला-भागलपुर।
5. मो. फिरोज अंसारी, पिता- मोहम्मद फहीम, मोहल्ला-भिखनपुर, गुमटी नंबर 3, मदीना मस्जिद के पास, थाना- इशाकचक, जिला-भागलपुर।
6. मो. परवेज़, पिता- मोहम्मद शम्सु जोहा, मोहल्ला-ब्रह्मपुरा, उत्तर टोला, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर के निवासी।
7. मो. रज़ी, पिता- मोहम्मद शफी अहमद, निवासी ब्रह्मपुरा, चांदनी चौक, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।
8. अभय कुमार सिन्हा, पिता- श्री राजेंद्र प्रसाद, गांव-सरौन, डाकघर- तारापुर, जिला-मुंगेर ।
9. अजय कुमार सिन्हा, पिता- श्री राजेंद्र प्रसाद, गाँव-तहबलपुर, खांता किनारा, थाना- लोदीपुर, जिला-भागलपुर, वर्तमान पता-सरौन, डाकघर- असरगंज, जिला-मुंगेर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
2. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर।
3. उप निदेशक (बी. एस. एच.), भागलपुर।
4. जिला मजिस्ट्रेट, भागलपुर। 5. नजरात डिप्टी कलेक्टर, भागलपुर।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

सिविल रिट संख्या- 20062/2018

==========

1. रतनजय कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय नंद किशोर सिंह, मोहल्ला-लालुचक, अंगारी के निवासी, डाकघर- भागलपुर, थाना- लोदीपुर, जिला-भागलपुर।
2. शैलेंद्र कुमार सिन्हा, पिता- बालेश्वर प्रसाद राम, मोहल्ला-उमाचरण बोस लेन, खरमनचक, डाकघर- मुख्य कार्यालय, थाना- आदमपुर, जिला-भागलपुर।
3. अमरेश कुमार अमर, पिता- बृजेन्द्र कुमार कर्ण, मोहल्ला-नया टोला, भिखनपुर गुमटी नं. 1, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।
4. मो. नेयाज़, पिता- मोहम्मद निसार अहमद, उर्दू मध्य विद्यालय बहरपुरा के पास, मोहल्ला-मीर फैकू लेन, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।
5. मो. परवाज़, पिता- रज़ा मोहम्मद, मोहल्ला-मिरदाहा लेन, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।
6. मो. अफरोज, पिता- मोहम्मद रजा मोहम्मद, मोहल्ला-मिरदाहा लेन, थाना- ईशाकचक, जिला-भागलपुर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. प्रधान सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर।
3. उप निदेशक (बी. एस. एच.), भागलपुर।
4. जिला मजिस्ट्रेट, भागलपुर।
5. नजरात डिप्टी कलेक्टर, भागलपुर।

.... उत्तरदाता/s

==========

के साथ

सिविल रिट संख्या- 20164/2018

==========

1. बिशुनदेव पासवान, पिता- छठ्ठू पासवान, ग्राम- बंसीटीकर, डाकघर- बिशनपुर इटिच्चो, थाना- सबौर, जिला- भागलपुर।
2. मो. एजाज हुसैन, पिता- मोहम्मद सज्जाद हुसैन, टिकायतोली लेन, थाना- जगदीशपुर, जिला-भागलपुर।
3. मुकुंद बिहारी, पिता- स्वर्गीय गोपाल रॉय, गाँव-गोलाघाट, डाकघर- भागलपुर शहर, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला भागलपुर।
4. मोहम्मद एकरामुद्दीन अंसारी, पिता- स्वर्गीय मोहम्मद अब्दुल सलाम, गाँव- कजवालीचक, थाना-तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।
5. जितेंद्र कुमार रॉय, पिता- स्वर्गीय रामफल रॉय, गाँव- गोलाघाट गरहैया, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

6. नंद बिहारी रॉय, पिता- स्वर्गीय गोपाल रॉय, गाँव-गोलाघाट डाकघर- भागलपुर शहर, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

7. मो. शाहनवाज़, पिता- स्वर्गीय कमरुद्दीन, गाँव-कजवालीचक, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

8. अवधेश राय, पिता- स्वर्गीय नारायण राय, गाँव-गोलाघाट, डाकघर- भागलपुर शहर, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

9. मो. शकीलुर रहमान, पिता- स्वर्गीय कमरुद्दीन, गाँव-कजवालीचक, थाना- तातारपुर कोतवाली, जिला-भागलपुर।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर।

3. उप निदेशक (बी. एस. एच.), भागलपुर।

4. जिलाधिकारी, भागलपुर।

5. नजरात डिप्टी कलेक्टर, भागलपुर।

.... उत्तरदाता/s

==========

उपस्थितः-

(सिविल रिट संख्या 19221/2018)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सियाराम शाही, अधिवक्ता
श्री बृज नंदन प्रसाद, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री मो. एन.एच. खान, एस.सी.-1(स्टेट काउंसिल)
मो. फजले करीम, एससी-1 के एसी

(सिविल रिट संख्या 20062/2018 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री बृज नंदन प्रसाद, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री राघवानंद, जी. ए.-11

श्री संजय कुमार तिवारी, ए. सी. - जी. ए.-11

(सिविल रिट संख्या- 20164/2018)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री बृज नंदन प्रसाद, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री प्रभात कुमार वर्मा-ए. जी. 3

श्री सरोज कुमार शर्मा, ए. सी. - ए. ए. जी.-3

==========

कोरमः माननीय श्री जस्टिस डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

तारीखः04-03-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और तीनों रिट याचिकाओं में राज्य के विद्वान वकील को सुना।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तीनों रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2001/2004 के साथ-साथ वर्ष 2016 में तैयार किए गए पैनल में सूचीबद्ध किया गया था, जैसा कि बाद में अधिसूचित/विज्ञापित किया गया था, और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को उम्र से अधिक पाए जाने पर आयु में छूट दी गई थी। उत्तरदाताओं को चौथी कक्षा के पद पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश देने के लिए तदनुसार उनकी नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की राहत की मांग की है। आगे उनकी प्रार्थना अधिक आयु के मामले में आयु में छूट के बाद वर्ष 2016 में विज्ञापित विज्ञापन के खिलाफ चौथी कक्षा के पद पर उनकी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए राहत की माँग करने हेतु है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने पहले इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायतों के लिए

आवेदन किया है और इस माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी प्राधिकरण के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए चार सप्ताह की अवधि के भीतर उठाने का निर्देश देने वाली रिट याचिका का निपटारा करने के लिए समय दिया है और प्रतिवादी को उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करने का कारण दिया गया है। इस निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने अभ्यावेदन दायर किया है और उनके अभ्यावेदन को प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा यह निर्देश देते हुए खारिज कर दिया गया था कि यदि याचिकाकर्ता 2016 के विज्ञापन के तहत आवेदन दायर करते हैं तो उनके आवेदन पर कानूनी निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की हैं। वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान इस माननीय न्यायालय द्वारा **कपिल कुमार बनाम बिहार राज्य** मामले में चतुर्थ श्रेणी के पद की नियुक्ति के संबंध में एक मामले का निर्णय लिया गया है। एवं समान मामलों सी. डब्ल्यू. जे. सी. 2019 का No.18612,2019 का CWJC No.19179 और 2019 का CWJC No.19753) 18.12.2019 पर पारित हुआ। उक्त आदेश के आलोक में बिहार राज्य एक नियम के साथ आगे आया है, जिसका नाम है- **"बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023"**। याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह नियम बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बनाया गया है और इसे 22.09.2023 पर अधिसूचित किया गया है। लेकिन उक्त नियम 2023 का नियम 13 याचिकाकर्ताओं को छूट देता है।

5. याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला उप-नियम बताता है कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन के आलोक में पहले के नियमों के तहत की गई नियुक्ति, यदि पूरी नहीं हुई है, तो उस मामले में नियुक्ति का पूरा होना केवल पहले के नियमों के आलोक में किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उक्त उप-नियम के आलोक में याचिकाकर्ताओं का दावा सत्य पाया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नियम 13 के आलोक में ही की जानी चाहिए।

6. तीनों मामलों में राज्य के विद्वान वकील संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के मामले 2018 के नियम 13 में जोड़े गए उप नियमों के आलोक में शामिल नहीं हैं। राज्य के अनुसार, यह सच है कि याचिकाकर्ताओं ने पहले इस माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है, लेकिन इस माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को पूरा करने का निर्देश नहीं दिया है, बल्कि उस न्यायालय का निर्णय जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा कर रहे हैं, जो 2014 के पहले मामले के अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न है, जिसमें रिट याचिका का निपटारा केवल याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर तर्कपूर्ण और मौखिक आदेश पारित करने के निर्देश के साथ किया गया था और इस तरह, नियम 2023 के नियम 13 के आलोक में छूट याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध नहीं है।

7. मामले के इस पहलू पर निर्णय लेने के लिए, इस माननीय न्यायालय द्वारा 2014 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.15582 में पारित आदेश को उद्धृत करना आवश्यक है, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा कर रहे हैं जो इस प्रकार हैः-

"उक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.1550 में पारित दिनांकित

02.02.2018 आदेश के संदर्भ में तीनों रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

.....याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को भागलपुर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अंतिम पैनल के प्रकाशन के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष दिनांक 07.02.2016 को अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। और प्रत्यर्थी संख्या 3 के विज्ञापन के अनुसरण में जिले को एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक अभ्यावेदन दायर कर सकता है और प्रतिवादी संख्या 3 उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करेगा और परिणामी कार्रवाई करेगा।

रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।"

8. साथ ही नियम 2023 का खंड 13, जो इस प्रकार हैः-

"13-निरसन एवं व्यावृत्ति। (i) इस सम्वर्ग के संबध में पूर्व में अधिसूचित बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) **[बिहार (विशिष्ट) कार्यालय परिचारी / परिचारी (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2010 के रूप में पुनर्नामित] तथा स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) (स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय परिचारी /**

परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2016 के रूप में पुनर्नामित] तथा समय-समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली / आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझें जायेंगे। परन्तु, किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में पूर्व की नियमावलियों के तहत् आरम्भ की गई नियुक्ति की कार्रवाई, यदि अनिष्पादित हो, तब उसे पूर्व की नियमावलियों के तहत् निष्पादित किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प / नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।"

9. इस माननीय न्यायालय के साथ-साथ उप नियम 13 द्वारा पारित आदेश के सुक्ष्म अवलोकन पर, न्यायालय यह पाता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, सिवाय इसके कि तर्कपूर्ण और मौखिक आदेश के साथ अभ्यावेदन का निपटारा किया जाए। इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि नियम 2023 के तहत सुरक्षा प्रदान करने वाले उप नियम 13 के आलोक में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई संरक्षण नहीं है।

10. प्रत्यर्थी संख्या 4 (अनुलग्नक-10) द्वारा पारित दिनांक 03.07.2018 के तर्कपूर्ण आदेश से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर ने उल्लेख किया है कि यदि याचिकाकर्ताओं ने 2016 के नियमों के अंतर्गत पालन किया है, तब याचिकाकर्ता

की नियुक्ति 2016 के नियम के आलोक में की जाएगी। लेकिन इस बीच, नियम 2023 को इस माननीय न्यायालय द्वारा कपिल कुमार और अन्य के मामले में किए गए निर्णय के आलोक में तैयार किया गया है, जिसे बाद में इस माननीय न्यायालय द्वारा 2023 के एल. पी. ए. No.1183 में समान मामलों के साथ पारित 17.02.2024 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था।

11. मामले के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है और इसलिए, इन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

(डॉ. अंशुमन,जे)

एमकेआर./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।